



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222340
CG-DL-E-09102020-222340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3122]
No. 3122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3515(अ).—राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा रहित) के प्रशासन के खातों को संकलित करने के उत्तरदायित्व से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्तीय वर्ष 2020-2021 से अवमुक्त करते हैं।

2. इस आदेश के प्रयोजन हेतु, “वित्त वर्ष” पद से, अप्रैल के पहले दिन से मार्च के 31वें दिन की समाप्ति (दोनों दिनों सहित) तक आरंभ होने वाली बारह महीने की प्रत्येक अवधि अभिप्रेत है।

[फा.सं. 15(17)-बी(आर)/2020]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 2020

S.O. 3515(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General, hereby relieves the Comptroller and Auditor-General from the responsibility for compiling the accounts of the Administration of the Union territory of Ladakh (without Legislature), with effect from the financial year 2020-2021.

2. For the purposes of this Order, the expression "financial year" means each period of twelve months commencing from the 1st day of April and ending on the 31st day of March (both days inclusive).

[F. No. 15 (17)-B(R)/2020]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.